तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
	27/11/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। कागजात पर ध्यान दिया गया। प्रार्थना स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। निस्तारण लिखित प्रारूप में लिखा जाकर आदेश, पत्रावली किया गया। प्रमाणपत्र बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। [illegible] 27/11/25 उप खण्ड अधिकारी [illegible] (कोटा)	

दिनांक

न्यायालय उपजिला कलक्टर एवं उपजिला मजिस्ट्रेट,बांदीकुई जिला दौसा।
मु. न. 122/2021
दर्ज दि0 19.11.2021
निर्णय दि0 27.11.2025

उनवान

1. कजोड पुत्र भौरया उम्र 80 वर्ष
2. शंकर पुत्र भौरया उम्र 60 वर्ष
3. जयराम पुत्र रामनिवास उम्र 50 वर्ष
4. कालूराम पुत्र रामनिवास उम्र 45 वर्ष
5. सियाराम पुत्र रामनिवास उम्र 37 वर्ष

} समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा

– प्रार्थीगण

बनाम

1. मेवा उम्र 65 वर्ष
2. शिवलाल उम्र 64 वर्ष
3. विजयसिंह उम्र 62 वर्ष
4. कल्या उम्र 57 वर्ष
5. राधेश्याम उम्र 55 वर्ष

} पुत्रान बिरदा

6. संतोष पुत्र रामस्वरूप उम्र 50 वर्ष
7. धोली पत्नी रामअवतार उम्र 35 वर्ष

} समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम हरिपुरा तह. बसवा जिला दौसा।

8. गोलू उम्र 11 वर्ष पुत्र रामअवतार नाबालिग जरिये संक्षरक माता धोली देवी पत्नी रामअवतार जाति गुर्जर नि. ग्राम हरिपुरा तह. बसवा जिला दौसा।
9. कमलेश पुत्र रामस्वरूप उम्र 37 वर्ष
10. मीरा पुत्री रामस्वरूप उम्र 35 वर्ष

} समस्त जाति गुर्जर नि. हरिपुरा तह. बसवा (दौसा)

11. देवाराम पुत्र किलाण उम्र 60 वर्ष जाति गुर्जर नि. कोलेश्वर तहसील बसवा जिला दौसा
12. सोनू उम्र 11 वर्ष पुत्र देवाराम माता प्रेम नाबालिग जरिये संरक्षक पिता देवाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम कोलश्वर तह बसवा जिला दौसा।
13. मानसिंह पुत्र रामबल उम्र 40 वर्ष
14. महाराजसिंह पुत्र रामबल (फौत) के बजाय–
   14/1 बीना देवी पत्नी महाराजसिंह
   14/2 आशीष पुत्र महाराजसिंह
   14/3 काजू पुत्री महाराजसिंह
   } नाबालिग जरिये संरक्षक माता बीना देवी पत्नी स्व. महाराजसिंह
15. उम्मेदसिंह पुत्र रामबल उम्र 28 वर्ष
16. मीरा पुत्री रामबल उम्र 21 वर्ष
17. शकुन्तला पुत्री रामबल उम्र 22 वर्ष
18. मुरारीलाल पुत्र बीरबल उम्र 35 वर्ष
19. रामखिलाडी पुत्र बीरबल उम्र 33 वर्ष
20. गोवर्धन पुत्र बीरबल उम्र 30 वर्ष
21. अनोखी पुत्री बीरबल उम्र 40 वर्ष

२५६

Scanned with OKEN Scanner

22. नर्बदा पत्नी बीरबल उम्र 65 वर्ष
23. विनोद पुत्री बीरबल उम्र..... वर्ष
24. राजेन्द्र पुत्र रामसिंह उम्र 35 वर्ष
25. दीनदयाल पुत्र रामसिंह उम्र 32 वर्ष
26. बच्ची पत्नी रामसिंह उम्र 65 वर्ष
27. कालीबाई पुत्री रामसिह उम्र 30 वर्ष
28. किलाण पुत्र रामरख उम्र 70 वर्ष
29. मलखान पुत्र रामरख उम्र 55 वर्ष
30. जयसिंह पुत्र रामरख उम्र 50 वर्ष
31. रामजीलाल पुत्र रामरख उम्र 48 वर्ष

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम हरिपुरा तहसील बाँदीकुई जिला दौसा।

32. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बसवा तहसील बसवा जिला दौसा।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट.

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट का न्यायालय में जरिये वकील पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैः— ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का भाण्डेडा तहसील बसवा जिला दौसा में खाता सं. नया 75 पुराना 71 के खसरा नं. 363 रकबा 0.54 हैक्टेयर, खसरा नं. 364 रकबा 0.52 हैक्टेयर, कुल किता दो कुल रकबा 1.06 हैक्टेयर, जिसके प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण खातेदार, काश्तकार हैं। नकल जमाबन्दीसंवत 2074 से 2077 संलग्न है। प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 01 में वर्णित भूमि पैतृक है जो प्रार्थीगण सं 01 व 02 के पिता एवं प्रार्थीगण सं. 03 लगायत 05 के दादा भौरया पुत्र गणेश से प्राप्त हुये, जिसमें भौरया पुत्र गणेश का हिस्सा 1/2 रहा है। भौरया पुत्र गणेश फौत हो गये। जिसका सिजरा निम्न हैः—

भौरया पुत्र गणेश (फौत)
↓
कजोड़, शंकर, रामनिवास (फौत)
↓
जयराम, कालूराम, सीयाराम

प्रार्थना—पत्र के पैरा नं. 01 में वर्णित भूमि का भू—प्रबंधक से पूर्व साबिका नं. 149, 150 रहे है, जिसमें प्रार्थीगण के पिता/दादा भौरया पुत्र गणेश का हिस्सा 1/2 एवं अप्रार्थीगणं के पूर्वज अमरा पुत्र भोला का हिस्सा 1/2 है। जिसका इन्द्राज खतौनी बन्दोबख्त संवत् 2008 से 2022 में इन्द्राज हो रहा है एवं प्रार्थीगण के पिता भौरया एवं अप्रार्थीगण के पूर्वज अमरा के फौत होने पर उनके वारिसान प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का भू—प्रबंधक की कार्यवाही के दौरान प्रार्थीगण कजोड़, शंकर एवं प्रार्थीगण सं. 03 लगायत 05 के पिता रामनिवास का हिस्सा बराबर अप्रार्थीगण के दर्शित है। जो भू—प्रबंधक संवत् 2052 से 2071 में इन्द्राज हो रहा है एवं भू—प्रबंधक की कार्यवाही के बाद संवत् 2070 से 2073 में भी प्रार्थीगण का हिस्सा 1/2 अंकित है एवं 1/2 हिस्सा अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 31 का इन्द्राज हो रहा है। नकल खतौनी जमाबन्दी संवत् 2008 से 2022 एवं भू—प्रबंधक विभाग की कार्यवाही संवत् 2052 से 2071 एवं मिलान क्षेत्रफल संवत् 2052 एवं

Scanned with OKEN Scanner

जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 की प्रमाणित प्रति पेश है। प्रार्थीगण अपने पूर्वजों के समय से प्रार्थना–पत्र के पैरा नं. 01 में वर्णित भूमि में 1/2 हिस्सा है तथा उसी हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। जिसका इन्द्राज भी संवत् 2070 से 2073 एवं इससे पूर्व भी समस्त राजस्व अभिलेख जमाबब्दियों में इन्द्राज हो रहा है, किन्तु हाल ही में बनी जमाबन्दी में सैग्रिकेशन के दौरान जमाबन्दी में हिस्से का इन्द्राज गलत कर दिया गया है तथा सभी सह हिस्सेदारान जिनका राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में इन्द्राज हो रहा है। उसका राजस्व कर्मचारी द्वारा बिना राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना जमाबन्दी में हिस्से कम–ज्यादा अंकित कर दिये है। जो राजस्व कर्मचारियों की त्रुटि की वजह से हाल जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में गलत इन्द्राज होने से उनको दुरुस्त करवाया जाना आवश्यक हो गया है। वर्तमान जमाबन्दी में प्रार्थी कजोड़ का हिस्सा गलत रूप से 1/36 अंकित कर दिया, जबकि कजोड़ का सही हिस्सा 1/6 है एवं शंकर का गलत हिस्सा 1/36 अंकित कर दिया है, जबकि उसका सही हिस्सा 1/6 है एवं इसी प्रकार प्रार्थी जयराम, कालूराम, सीयाराम प्रत्येक का गलत हिस्सा 1/108–1/108 दर्शित कर दिया है, जबकि उनका प्रत्येक का हिस्सा 1/18–1/18 है तथा उसी हिस्सेनुसार प्रार्थीगण मौके पर कब्जे काश्त है, किन्तु राजस्व कर्मचारी द्वारा प्रार्थीगण का हिस्सा कम कर अप्रार्थीगण के हिस्से में गलत दर्शित कर दिया है। प्रार्थीगण द्वारा भारत सरकार द्वारा कृषक सम्मान निधि योजना में नाम जुड़वाते समय उक्त उक्त इन्द्राज की जानकारी होने पर हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तब उक्त राजस्व अभिलेख के गलत इन्द्राज की जानकारी प्रार्थीगण को हुई जिस पर प्रार्थीगण द्वारा दस्तावेजात की नकल लेकर हल्का पटवारी से दिनांक 20.10.2021 को दुरूस्ती हेतु कहा तो हल्का पटवारी द्वारा न्यायालय में वाद दायर कर आदेश प्राप्त करने पर ही दुरुस्ती हेतु कहा। इसलिए प्रार्थीगण को उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाने हेतु अदालत हाजा के समक्ष प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती पेश करना आवश्यक हुआ है। बिनाय दावा, बिनाय मुखास्मत प्रार्थीगण द्वारा कृषक सम्मान निधि योजना में ई–मित्र पर अपना नाम जुड़वाते समय उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी जुलाई 2021 में होने पर दस्तावेजात की नकल लेकर दिनांक 20.10.2021 को हल्का पटवारी द्वारा दुरूस्ती से इन्कार होने से वाद कारण उत्पन्न हुआ है। प्रार्थी व भूमि मुतदाविया न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में होने से न्यायालय हाजा को श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र दुरूस्ती हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की तृतीय अनुसूची के अनुच्छेद तीन एवं पाँच के प्रावधानानुसार कोई समय सीमा निश्चित नहीं है। वाद कारण उत्पन्न होने के बाद तीन वर्ष की समय सीमा निश्चित है। अतः प्रार्थना पत्र उक्त अनुसूची में प्रावहित न्यायालय शुल्क 2 रूपये मुद्रांक लगाकर वाद कारण उत्पन्न होने के बाद समय सीमा में प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र में नाम एवं प्रार्थीगण के हस्सी की बाबत दुरुस्ती चाहे जाने के कारण भूमिधारी के प्रतिनिधि को प्रतिवादी बनाया गया है। प्रार्थना–पत्र नीयत कोर्ट फीस 02/– रूपये पर पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 01 में दर्शित भूमि में वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में प्रार्थी सं. 01 कजोड़ का गलत हिस्सा 1/36 के स्थान पर सही हिस्सा 1/6 एवं प्रार्थी शंकर का गलत हिस्सा 1/36 जो दर्शित है। उसका सही हिस्सा 1/6 एवं प्रार्थी सं. 03 जयराम का गलत हिस्सा 1/108 के स्थान पर सही हिस्सा 1/18 एवं प्रार्थी सं. 04 कालूराम का गलत हिस्सा 1/108 के स्थान पर उसका सही हिस्सा 1/18 एवं प्रार्थी सं. 05 सीयाराम का गलत हिस्सा 1/108 के स्थान पर उसका सही

Scanned with OKEN Scanner

य

हिस्सा 1/18 का राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में दुरूस्ती किया जाकर प्रार्थीगण का सही हिस्सा दर्शित किया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 9,12 लगा. 13,14/1 लगायत 14/3, 15 लगायत 32 की दिनांक 18.09.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 10 के जवाब पर नियत की गई जवाब पेश नही जवाब बन्द किया जाकर प्रकरण में बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली में मौका जांच रिपोर्ट पटवारी हल्का भाण्डेडा, आई एलआर बांदीकुई दिनांक 27.05.2023 में प्रार्थीगण के हिस्सो में त्रुटि होना व्यक्त करते हुये हिस्सा शुद्ध करने हेतु अभिषंशा की गई है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र धारा 136 का स्वीकार किया जाता है। ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का भाण्डेडा तहसील बसवा जिला दौसा में खाता सं. नया 75 पुराना 71 के खसरा नं. 363 रकबा 0.54 हैक्टेयर, खसरा नं. 364 रकबा 0.52 हैक्टेयर, कुल किता दो कुल रकबा 1.06 हैक्टेयर, में तहसीलदार बांदीकुई जांच कर वादग्रस्त भूमि में पक्षकारान के हिस्से मे यदि कोई त्रुटि हो तो शुद्ध कर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करे। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 27.11.2025 को खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया गया।

27/11/25

(रामसिंह राजावत)
आरएएस
उपखंड अधिकारी
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner